न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 194 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. सुआदेवी पत्नी मेगाराम, निवासी पायलां कलां, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर		1. सोनाराम पुत्र भेराराम निवासी नेहरो की ढाणी 2. जीयाराम पुत्र हेराजराम 3. वंशाराम पुत्र गुणेशाराम 4. मेगाराम पुत्र पूनमाराम 5. रूपाराम पुत्र पूनमाराम 6. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम 7. देवीलाल पुत्र दीपाराम 8. झीणीदेवी पत्नी दीपाराम 9. टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम 10. बाबूलाल पुत्र गुणेशाराम 11. मूलाराम पुत्र आम्बाराम 12. राणाराम पुत्र आम्बाराम 13. खमादेवी पत्नी आम्बाराम, निवासी पायंला कला, तहसील सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:20:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 12.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी का खेत मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायलां कलां, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 522 / 8 रकबा 0.1618 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के सेढों पर जो पुरानी कणें थे, जो आंधियों की वजह से बिखर गए जिससे सेढों का सही

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ज्ञान नहीं हो रहा। किसी प्रकार की पक्की या कच्ची माठ या सीमा चिन्ह अंकित नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायलां कलां, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 522/8 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायलां कलां, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 522/8 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायलां कलां, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 522/8 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायलां कलां, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 522/8 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीनी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर [illegible] करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का [illegible] स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:20:04 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा प्राथीर्नी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौ[illegible] राजस्व ग्राम पायला कला पटवार हल्का पायलां कलां, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 522/8 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12-10-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:20:04 IST
Reason: SelfAttested